



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 30 दिसम्बर, 2025

पौष 9, 1947 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2922/वि०स०/संसदीय/94(सं)/2025

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन)

विधेयक, 2025

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम

2-किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 की धारा 24

संख्या 8 सन् 2002 की में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-
धारा 24 का संशोधन

“(1क) उपर्युक्त उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त, कार्यकारी परिषद में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम आचार्यों में से, एक सदस्य और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम आचार्यों से भी एक सदस्य सम्मिलित होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा कुलपति के परामर्श से, चक्रानुक्रम के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।”

उद्देश्य और कारण

लखनऊ विश्वविद्यालय से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और गाँधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को अंतरित करके उक्त चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना और उससे सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था करने के लिए किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002), अधिनियमित किया गया है।

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में, आरक्षित श्रेणियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा अनुश्रवण हेतु कार्य परिषद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 24 में संशोधन किए जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया जाता है।

ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 282/XC-S-1-25-33S-2025
Dated Lucknow, December 30, 2025

NOTIFICATION MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the King George Chikitsa Vishvavidyalaya, Uttar Pradesh (Sanshodhan) Vidheyak, 2025 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 22, 2025.

THE KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH
(AMENDMENT) BILL, 2025

A
BILL

2002. further to amend the King George's Medical University, Uttar Pradesh Act,

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2025.

2. In Section 24 of the King George's Medical University, Uttar Pradesh Act, 2002, *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

Amendment
of Section 24 of
U.P. Act no. 8 of
2002

"(1A) In addition to the members specified in the above sub-section (1), the Executive Council shall also include one member from amongst the senior most Professors of the University belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and one member from amongst the senior most Professors of the University belonging to other backward classes of citizen, to be nominated by the State Government, on rotation basis, in consultation with the Vice-Chancellor."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASON

The King George's Medical University, Uttar Pradesh Act, 2002 (U.P. Act no. 8 of 2002) has been enacted to provide for the establishment of a Medical University by transfer of King George's Medical College and the Gandhi Memorial and Associated Hospitals from the University of Lucknow to the said Medical University and for matters connected therewith.

To ensure the representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the Executive Council to protect and monitor the constitutional rights of reserved categories in King George's Medical University, Uttar Pradesh, it has been decided to amend Section 24 of the aforesaid Act.

The King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Bill, 2025 is introduced accordingly.

BRAJESH PATHAK

Up Mukhyamantri.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.